न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

शारदा देवी बनाम सन्दीप आदि

प्रकरण का प्रकार 225 आरटीएक्ट क्रमांक 2018/00173 (59/2018)

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
26.12.2019	पत्रावली पेश हुई। अपीलाण्ट ने यह अपील सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेशिका दिनांक 18.09.2017 के विरूद्ध की है। उपखण्ड अधिकारी की दिनांक 18.09.2017 के आदेश में प्रश्नगत भूमि रोही मोजा 14 केएनएन के खाता संख्या 152/154 की 5.1990 है0 भूमि को आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.10.2017 तक रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नहीं करने तथा रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखी जाने के आदेश दिये है। तथा इस आदेश में यदि गैर सायल को कोई उज्र व एतराज हो तो इस न्यायालयम आगामी तारीख पेशी पर असालतन या वकालतन उपस्थित होकर वजह जाहिर करने का अवसर दिया है। अपीलाण्ट ने यह अपील धारा 225 आरटीएक्ट में प्रस्तुत की है जो निम्न प्रकार है:– **''(1) तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वरूप के आवेदन पत्र पर पारित अन्तिम आदेश तथा ऐसे आदेश जो कि अधिनियम की धारा 212 में एवं सिविल प्रक्रिया संहिता (केन्द्रीय अधिनियम 5, सन 1908)''** ''सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (14) ''आदेश'' से सिविल **न्यायालय के किसी विनिश्चय की प्ररूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो डिक्री नहीं है।** इस धारा के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि **धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अन्तिम आदेशों की अपीलें की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनांक 18.09.2017 के द्वारा आगामीी पेश ीतक भूमि को रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नहीं करे तथा रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं। अतः यह अन्तिम आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय नही है।** अतः अपील अपीलाण्ट पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 26.12.2019 को सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.01.10 14:12:24 IST
Reason: SelfAttested